



न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-954/2026
CNR No. UPGH010023622026

रामअवध उम्र लगभग 64 वर्ष पुत्र स्व० चन्द्रदेव निवासी ग्राम शिवपुर दुल्लहपुर, थाना दुल्लहपुर,
जिला गाजीपुर।

-----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

- 1-उत्तर प्रदेश राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर।
- 2-पिंकू देवी पत्नी बृजलाल राम निवासी ग्राम शिवपुर, थाना दुल्लहपुर, गाजीपुर।
- 3- थानाध्यक्ष बागीश विक्रम सिंह, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर।

-----विपक्षीगण

मु०अ०सं०-89/2026

धारा-115(2), 352, 117(2), 110 बी०एन०एस०

थाना-दुल्लहपुर, जनपद-गाजीपुर।

अभियुक्त की ओर से: श्री एच०अब्बास जैदी, एडवोकेट

राज्य की ओर से: श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय
अधिवक्ता(दाण्डिक)

14-07-2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई पेश हुआ। बार-बार पुकार पर अभियोजन पक्ष उपस्थित, परन्तु आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

चूँकि प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 12-05-2026 से लम्बित है तथा आज आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

अतएव प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में आवेदक/अभियुक्त की ओर से बल देने के लिये किसी के भी उपस्थित नहीं होने के दृष्टिगत प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर